



राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम,
सेक्टर-04, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर।

कोटपूतली आवासीय योजना रामाकृष्णापुरम के पूर्व पंजीकृत आवेदकों एवं आम जनता के लिए किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना 2015 में स्वतन्त्र आवास प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की
प्रारम्भ तिथि
23.03.2015

योजना की
अन्तिम तिथि
30.06.2015

1. आवासों के आवंटन का वरियता क्रम निम्नानुसार होगा :

- नगद भुगतान के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष एवं वरिष्ठता के अनुसार प्रथम वरियता दी जायेगी।
- किराया क्रय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष एवं वरियता के अनुसार द्वितीय वरियता दी जायेगी।
- नगद भुगतान पद्धति पर आम आदमी को तृतीय वरियता के अनुसार खुली बिक्री में आवासों का आवंटन किया जायेगा।
- किराया क्रय पद्धति पर आम आदमी को चतुर्थ वरियता के अनुसार आवासों का आवंटन किया जायेगा।

2. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध आवासों का विवरण निम्न है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	आवासों की सं.	प्लॉट साइज	लागत	निर्मित क्षेत्रफल	मकान संख्या
1.	MIG-A	14	8.00X16.00	1438800.00	56.25 वर्ग मीटर	1-A-13, 16, 17 1-B-08, 09, 1-C-02, 03, 04, 1-D-01, 06, 11, 1-F-08, 12, 16
2.	MIG-B	15	9.00X18.00	2144800.00	74.50 वर्ग मीटर	1-A-07, 1-F-27, 3-D-08, 3-E-01, 05, 09, 3-F-04, 06, 12, 15, 16 3-G-03, 09, 11, 12,
3.	HIG	27	11.25X21.00	3772400.00	128.324 वर्ग मीटर	3-A-10, 3-B-02, 03, 04, 06, 12, 17, 22, 23, 26, 27, 3-C-01, 02, 04, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली राशि का विवरण:-

क्र. सं.	वर्ग	आवेदन पत्र के साथ देय राशि (रूपयें में)			
		पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि की प्रथम किस्त	प्रक्रिया शुल्क	कुल देय राशि
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	50000.00	40000.00	1000.00	91000.00
2.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	80000.00	70000.00	1500.00	151500.00
3.	उच्च आय वर्ग	120000.00	100000.00	2000.00	222000.00

- नोट:-
1. उपरोक्त लागत के अतिरिक्त लीज राशि 2.5% (भूमि की कीमत का), कोने के आवास के लिए निर्माण लागत का से 5% एवं मध्यम आय वर्ग 'अ', मध्यम आय वर्ग 'ब' एवं उच्च आय वर्ग के लिए ए. सी. सी. 3% अलग से देय होगा।
 2. यदि किसी आवास में अतिरिक्त भूमि है तो उसकी लागत अलग से देय होगी।
 3. किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिये उपरोक्त लागत के अतिरिक्त 3.09% सेवाकर देय होगा।
 4. आवासों का आवंटन "जहाँ है जैसी स्थिति" के आधार पर किया जायेगा। अन्य शर्तें आवदेन फार्म में वर्णित है। शर्तें मण्डल की वेबसाइट "WWW.rhb online.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है।

—:सम्पर्क सूत्र:—

परियोजना अभियन्ता (व.)
राजस्थान आवासन मण्डल,
कोटपूतली। दूरभाष : 96729 70855

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
दूरभाष : 98281 09476

RE DUTI Jps



राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम,
सेक्टर-04, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर।

योजना की
प्रारम्भ तिथि
23.03.2015

कोटपूतली आवासीय योजना रामाकृष्णापुरम के
पूर्व पंजीकृत आवेदकों एवं आम जनता के लिए
किराया क्रय/नकद भुगतान पद्धति में खुली
बिक्री योजना 2015 में स्वतन्त्र आवास प्राप्त
करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की
अन्तिम तिथि
30.06.2015

आवासों के आवंटन का वरियता क्रम निम्नानुसार होगा :

1. नगद भुगतान के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष एवं वरिष्ठता के अनुसार प्रथम वरियता दी जायेगी।
2. किराया क्रय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष एवं वरियता के अनुसार द्वितीय वरियता दी जायेगी।
3. नगद भुगतान पद्धति पर आम आदमी को तृतीय वरियता के अनुसार खुली बिक्री में आवासों का आवंटन किया जायेगा।
4. किराया क्रय पद्धति पर आम आदमी को चतुर्थ वरियता के अनुसार आवासों का आवंटन किया जायेगा।

नोट :- आवासों का आवंटन "जहाँ है जैसी स्थिति" के आधार पर किया जायेगा। अन्य शर्तें आवेदन फार्म में वर्णित हैं। शर्तें व आवासों की संख्या, साइज, लागत, निर्मित क्षेत्रफल मण्डल की वेबसाइट "WWW.rhbonline.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है।

—:सम्पर्क सूत्र:—

परियोजना अभियन्ता (व.)
राजस्थान आवासन मण्डल,
कोटपूतली। दूरभाष : 96729 70855

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
दूरभाष : 98281 09476